संख्या-**1211**/2026/606/22-2-2026-17(294)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 सितम्बर, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी कमलेश उर्फ कन्ने पुत्र श्री रंगनाथ, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-10576/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.03.2026) दिनांक-23.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी कमलेश उर्फ कन्ने पुत्र श्री रंगनाथ, ग्राम-भुडना, थाना-महोली, जिला-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.09.2011 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग को लेकर अपनी भांजी कान्ती उर्फ टोलू तथा छंगा व डगरू उर्फ मिश्री लाल नामक 03 व्यक्तियों की गला दबा कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-765/2012, धारा-147,364, 302/149, 201/149 आई०पी०सी० में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-09, सीतापुर के आदेश दिनांक 04.02.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक-31.10.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 07 दिन तथा 17 वर्ष, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 22.09.2011 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग को लेकर अपनी भानजी कान्ती उर्फ टोलू तथा छंगा व डगरू उर्फ मिश्री लाल नामक 03 व्यक्तियों की गला दबा कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है,

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश उर्फ कन्ने पुत्र श्री रंगनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश उर्फ कन्ने (बन्दी संख्या-48408) पुत्र श्री रंगनाथ, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-**1211**/2026/606(1)/22-2-2026 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-**1211**/2026/606/22-2-2026-17(294)/2026

दिनांक: 22 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी कमलेश उर्फ कन्ने पुत्र श्री रंगनाथ, ग्राम-भुडना, थाना-महोली, जिला-सीतापुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 22.09.2011 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग को लेकर अपनी भांजी कान्ती उर्फ टोलू तथा छंगा व डगरू उर्फ मिश्री लाल नामक 03 व्यक्तियों की गला दबा कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 765/2012, धारा-147,364, 302/149, 201/149 आई॰पी॰सी॰ में मा॰ न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं॰-09, सीतापुर के आदेश दिनांक 04.02.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा॰ उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक-31.10.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 07 दिन तथा 17 वर्ष, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 22.09.2011 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग को लेकर अपनी भानजी कान्ती उर्फ टोलू तथा छंगा व डगरू उर्फ मिश्री लाल नामक 03 व्यक्तियों की गला दबा कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश उर्फ कन्ने पुत्र श्री रंगनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in